13

मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
बम्बई वी0टी0

संख्या :- डब्ल्यू 419 जी 30/7, दिनांक 26.5.1988

वरिष्ठ मंडल इंजी0 जबलपुर इत्यादि

विषय :- रेल भूमि के आसपास भवनों/संरचनाओं का निर्माण तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना ।

=====

रेलवे बोर्ड ने सभी राज्यशासनों एवं स्थानिय प्रशासनों को संबोधित उनके दि0 24.4.1946 के पत्र सं 5456 डब्ल्यू में निर्धारित किया है कि रेल भूमि के दोनों ओर लगभग 100 फुट (30 मी.) खुली जगह छोड़ी जाय और स्थानीय शर्ते लागू हो। इसे सभी राज्य शासनों ने स्वीकार किया है ।

2. शहरों और नगरों में जहां भूमि कीमती है और लागत बहुत होती है मालिकों के लिए रेल सीमा और भवन के सिरे के बीच खाली जगह (30 मी.) छोड़ना सम्भव न हो, उसी समय यह देखना आवश्यक है कि रेलवे के हित की पूरी संरक्षा की जाय ।

3. पिछले दिनों बम्बई मे (पश्चिम रेलवे पर) एक ऐसी घटना हुई है जिसमें एक भवन जो रेल सीमा के पास और काफी ऊँचा था, गिर गया और उसका मलबा रेलपथ पर गिरने के कारण रेल यातायात में बाधा उत्पन्न हुई। अत: संरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए वर्तमान रेल सीमा से 30 मी. (100 फुट) के भीतर रेलवे भूमि के आसपास मालिकों को उनके भवनों / संरचनाओं के निर्माण करने के लिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र " जारी करते समय ध्यान रखने हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शक तत्व जारी किये जाते हैं :-

अ) मंडलों को यह प्रमाणित करना चाहिए कि निकट भविष्य मे यह भूमि रेलवे प्रशासन को अपने विकास के लिए आवश्यक नहीं है ।

ब) संबंधित पार्टी को नक्शा प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जिसमे प्रस्तावित निर्माण कार्य के निकट का स्थान वर्तमान रेल सीमा, खम्भा या विद्युत उपरी संरचना या कोई विशिष्ट चिह्न जो रेलवे प्रशासन की सम्पत्ति हो, दर्शाया गया हो ड्राइंग मे संरचनात्मक विवरण, जैसे कि निकटस्थ रेल से भवन की स्तर के संदर्भ की नींव ऊँचाई, संरचना का प्रकार तथा जल निकासी व्यवस्था भी इंगित की जानी चाहिए मंडल, मे मौके की वास्तविक स्थिति से संतुष्ट कराएगा ।

स. भवन की ऊँचाई प्रतिबंधित होनी चाहिए ताकि भवन के निकट सिरे और रेल सीमा के बीच , भवन की ऊँचाई की आधी के बराबर खुली जगह उपलब्ध हो ।

4\. भवन की नीव काफी मजबूत हो ताकि नीव न धसे और भवन गिर न... बहुमंजिल भवन के लिए खम्भो की नीव होनी चाहिए ।

5\. भूमि का स्तर जहाँ भवन निर्माण करना है, रेलवे फार्मेशन स्तर से ऊँचा हो तो ऐसे मामले में सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे उसकी जाँच करे और यदि आवश्यक हो तो, रेल सीमा से भवन के आमुख तक की स्पष्ट दूरी उचित रूप से बढ़ायी जाय ।

6\. बशर्ते कि ऐसी संरचनाए घुमावो पर गाड़ी ड्राइवरों की दृश्यता में बाधा उत्पन्न न करे ।

4\. उपर्युक्त लाइनों पर प्रस्ताव की छान-बीन करने के बाद आवेदन पत्र के साथ प्रस्ताव मुख्यालय को आगे की कार्रवाई के लिए तत्काल भेज दिया जाए ।

5\. मामले पर शीघ्र कार्रवाई की जाय ताकि "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने में रेलवे को (अर्थात् मण्डल और मुख्यालय (कुल 45 दिनों से अधिक समय लगे ।

6\. कृपया इस पत्र की पावती दें ।

हस्ता०/-
(बी०डी० कर्दम)
कृते मुख्य इंजीनियर